प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.09.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **एक अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी राइफल सिंगल राउण्ड 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और दूसरे अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल नाजायज 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर किए गए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है जनपद कानपुर देहात द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एक अदद अवैध पिस्टल नाजायज 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा पुत्र हनुमन्त सिंह निवासी ग्राम बिनपुरा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया को झाँसी-कानपुर हाइवे से ग्राम मांवर की तरफ जाने वाले रास्ते पर समय करीब 20:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 09.09.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 अदद देशी राइफल सिंगल राउण्ड 315 बोर (चालू हालत में) व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ सुमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम हरी सिंह की मडैया, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया को मूसानगर रोड पर बन्द पडी फैक्ट्री के पास समय करीब 23:55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 297/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा पुत्र हनुमन्त सिंह, उम्र करीब 48 बर्ष, निवासी ग्राम बिनपुरा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया।
2. सुमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र शिव सिंह, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम हरी सिंह की मडैया, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया।

अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अदद पिस्टल नाजायज 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध देशी राइफल सिंगल राउण्ड 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा उपरोक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा ने बताया कि मैं पिस्टल व कारतूस गाँव के आसपास के लोगों को डराने-धमकाने के लिये रखता हूँ। आज भोगनीपुर क्षेत्र में किसी काम से आया था। अब वापस घर जाने के लिये वाहन का इंतजार कर रहा था कि तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया व गलती की माफी माँगने लगा।

अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू उपरोक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू ने बताया कि मैं अपने खेतों की रखवाली के लिए अपने पास रखता हूँ। आज इसको दूसरे को बेचने जा रहा था और उस व्यक्ति के पास जाने के लिए साधन का इन्तजार कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड लिया। अपने द्वारा किये गये अपराध की गलती की माफी माँगने लगा।

अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 296/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 169/2015 धारा 307/323/380/506 भा0द0वि0 थाना दिबियापुर जनपद औरैया,
3. मु0अ0सं0 17/2005 धारा 307/504/506 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना दिबियापुर जनपद औरैया
4. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 302 भा0द0वि0 थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/23 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना दिबियापुर जनपद औरैया,
2. मु0अ0सं0 105/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दिबियापुर जनपद औरैया,
3. मु0अ0सं0 297/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस